

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 135 / 2022 राजस्व अपील

1. भगवान सहाय पुत्र चन्दर जाति गुर्जर निवासी ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोजेन्ट

(अपील विरुद्ध आदेश उपतहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.01.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम भगवान सहाय प्रकरण संख्या 212 / 2021 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 09.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.20 है. भूमि पर अतिक्रमण मानकर बिना कोई जांच किये बिना एवं अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना अपीलान्त को दिनांक 28.01.2022 को 30 दिन के सिविल कारावास व शास्ति से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय अपीलान्त के पीठ पीछे पारित किया है जिसका प्रमाण यह है कि यदि आदेश अपीलान्त के सामने पारित किया जाता तो या तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त की जमानत ली जाती या फिर अपीलान्त को जेल भेजा दिया जाता। अपीलान्त की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्त ने ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.20 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। आज दिनांक को उक्त भूमि मौके पर खाली है एवं अपीलान्त भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 28.01.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त द्वारा ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.20 है. पर गेहूँ की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त द्वारा ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.20 है. पर गेहूँ की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त आदेश पारित किया गया है। अपीलान्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.20 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना, उक्त भूमि आज दिनांक को मौके पर खाली होना एवं अपीलान्त का भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय स्थित भूमि सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.20 है. पर से अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना, उक्त भूमि मौके पर खाली होना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट रिकॉर्ड रूम की जावे।



निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा न्यायालय की मुद्रा से सुनवाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति० जिला कलक्टर ,दौसा

न्यायालय की मुद्रा से

(सुमित्रा पारीक)
अति० जिला कलक्टर ,दौसा